

मांग संख्या 08
मुख्य शीर्ष 2029

मद क्रमांक 1

Common Service Center के माध्यम से कृषकों का e-KYC किए जाने हेतु आकस्मिकता निधि से ₹100 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।